SHRI H. N. BAHUGUNA s I am grateful lo the hon. Member for making these suggestions, I must admit that there is a lot of deficiencies in this Department, and I regret I could not acknowledge the many points that were made in relation to the efficiency in this Department. I do not claim that this Department is an efficient one. We have to synchronise ourselves with 50 crores of people and their needs. And yet we have a large section of human beings who have to deliver the goods. So far as Mr. Mani's suggestion is concerned about Section 5 (b) perhaps—he is more on section 5(b) than on section 5 itself—that section provides for two things. One is taking over the licences that we issued to private companies for irrigation, Railway Departments or other things. Then he talked something about censoring or something of tee messages. Now, that has to be seen, I cannot say anything on that today because that will come before this House. As I told you earlier, we are bringing something on section 5 but what shape that amendment of section 5 will be. I cannot say today.

Medical Termination of

Finally, Sir, Mr. Krishan Kant gave me a complaint. I must acknowledge that. He has given me a complaint, I am grateful to him for giving me this complaint. I am sorry that this complaint should not have been acknowledged, much less remedied. I will certainly look into this and locate the fault and fix the responsibility.

With these words, I hope that the House will pass this Bill.

MR. DEPUTE CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed." The motion was adopted.

THE MEDICAL TERMINATION PREGNANCY BILL, 1969

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Medical Termination of Pregnancy Bill. Dr. Debi-prasad Chattopadhyaya.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, in this connection, I have a submission to make. I think our Minister of State for Parliamentary Affairs, Mr. Om Mehta, is

not handling the business in a proper way, at least in a manner which should do justice to * the Minister. In the morning he forced our friend, Mr. Uma Shanker Dikshit, the Leader of the House, to answer questions on venereal diseases. One Minister started with venereal diseases. And the other Minister now is forced to start with pregnancy. I do not know how the delivery will be like. But I hope it will be a good one.

Pregnancy Bill, 1969

THE MINISTER OE STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNINGTOPADHYAYA): I am starting with the termination of pregnancy, not with pregnancy. Sir, I move:

"That the Bill to provide for the termination of certain pregnancies by registered medical practitioners and for matters connected there with or incidental thereto, as reported by the Joint Committee of the Houses, be taken into consideration "

[THE VIGE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) in the Chairl

Mr. Vice-Chairman, I think the legislation that is being brought before the House for its consideration is an Important piece legislation. It is important in more than one sense. It has social, moral and medical bearings. The Bill is primarily designed to liberalise the existing laws regarding the termination of pregnancy. As you know, Sir, this Bill was before this House and it was referred to a Joint Committee consisting of Members of both the Houses. And this has been considered and processed in the Joint Committee and what is now before this House is the product of the labour of the Members therein, in that Joint Committee.

Sir, I fear that this Bill will, or may, be objected to on several grounds. But at the Committee level it has been found that it has recieved the approbation of the majority of the people and even those who have objected most of them have not objected on principle but in respect of certain details. But before this House takes up the Bill for detailed discussion I would submit certain considerations before the honourable Members.

I think now, all over the world, the question of the emancipation of women and the f question of child welfare and medical care, particularly that of mothers and children, are being given very important consideration. Moreover, tradition, morality and other related questions are undergoing a considerable change. It is in this context, I think, that the question of termination of pregnancy has to be viewed, and sympathetically viewed.

In support of the Bill we may offer certain argument. Some of them, we may say, are general, and others special. Before I speak of the special argument I think it will be in the fitness of things that I refer to certain general arguments. First, I should say that there are some social reasons for bringing forward this piece of legislation. The social outlook, as you know, has changed. The concept of a happy family is something that we did not know even 25 or 30 years ago. The idea of a big family, the idea of an unwanted child, are not found favour with most of the young and educated people. Even the poor. Even the poor, uneducated people find it a sort of burden to support a big family; for the children of big family cannot be given proper education and facilities for growing into fine manhood. So, I think, the State should help those people who do not want to have big family, who do not want to have children whom they cannot provide with the necessary care and education, necessary in the context of modern days and modern outlook.

Secondly, the moral consideration underlying this piece of legislation is also noteworthy. A woman who has to bear unwanted or illegitimate children is not favourably looked upon by society. We should see that those unfortunate women who become mothers not in accordance with the general norms of society, are not necessarily disdained, frowned upon and ignored. They have also their calls, and it is a phenomenon now sympathetically consi-• dered all over the world. There is no earthly reason why our society should not look upon this problem on compassionate grounds, because you know, Sir, we say that in our society, with our tradition and culture, our swadharma have a balance with yugadharma, the spirit of the society. A society which in the name of traditions is always backward-looking and never forward-looking cannot assimilate the

finest values, the modern values, from other cultures. Not only from other cultures but even the finest values of modern culture, which are not peculiar to any particular country, cannot be assimilated unless we broaden our outlook and deepen our inlook, and become free enough to take in what our liberalised society, what our modern society, has to offer. And that would make our families more scientific and more happy. So. I think, the moral considerations are not divorced from the social considerations. All these are interlinked with the economic necessity of the time, the pressing necessity of the time, namely that we do not like to see that our children are brought up in a very gloomy, dismal and poverty, stricken circumstances

In addition to these considerations, another general consideration which we have to bear in mind is the medical consideration. When women under circumstances beyond their control have to bear children, not only are the children unwanted, but the poor mothers who have to bear the children are also put under very difficult situations from the medical point of view, apart from economic, social, etc. So, I think, we should try to appreciate the moral psychology of the expectant mother, the mother who is expecting but who is not willing to have the baby. Her psychology should be sympathetically considered and on compassionate grounds appreciated and we must do something about it. Another argument which was offered long ago by John Stuart Mill was whether we have a moral right to bring into the world a child whom we cannot morally and properly bring up. It is a very important consideration, whether our freedom to procreate should be inconsistent with the freedom of the future citizen to be brought up in the proper atmosphere, in the proper environment, having a good education, having good economic and other facilities. So all these general considerations are lending support to this piece of legislation.

Apart from these general considerations certain special considerations have also been offered by the Members of the Committee and by those who have thoroughly gone into the Bill. I think our objective to liberalise the existing rules and laws relating to abortion will not be realised unless certain specific measures are taken

[Prof. D. P. Chattopadhyaya]

183

And I think in taking the final decision regarding the termination of pregnancy the view of the competent medical practitioners should be given top importance. You know, Sir, it is a very delicate operation and it cannot be left to people who are not otherwise competent for it. When actually this Bill was brought about we wanted that the people who would be entrusted with this delicate job of operation should be very qualified people. So on the one hand we have to see that the operation is performed by qualified people and on the other hand we should see that the qualification should not be laid down in such a fashion that people satisfying the qualification are not available. We have to bear these two considerations in mind. We have to liberalise the existing rules without endangering the safety and security of the expectant mother. In the Indian Penal Code section 45 it was stipulated that a general medical practitioner could perform this operation. But we thought that it would not be wise to allow a general medical practitioner to undertake this delicate and responsible operation. So we thought that the term "general medical practitioner" should be redefined having in view the improved qualifications necessary for undertaking this sort of delicate operations. So one thing that this modified legislation is placing before the House for consideration is what sort of a medical practitioner may be allowed to perform this delicate operation.

Another consideration is that we have to visualise the eventuality of the failure of the contraceptive or other methods usually followed by the couples in planning their family. So unless we visualise the possibility of the failure of the methods, we cannot justifiably allow the doctor to terminate pregnancy. Therefore, that eventuality has been contemplated and incorporated in this Bill.

It was also discussed and debated in the Committee as to who should be the guardian and whose consent should be sought in case of termination of pregnancy. Formerly, it was thought that the person who is in care of both person and property of the woman should be deemed as the guardian. The Joint Committee thought it necessary to liberalise the definition of guardian and that liberalisation could be

brought out by defining guardianship only in terms of care of person and not of property. If we put the conjunctive terms person and property, then the qualification of guardianship becomes more restrictive. In order to liberalise this we thought that person will be deemed as the guardian of a woman who only has the care of the person in question.

This question of guardianship arises only in the case of a lunatic woman or a woman below the age of eighteen. By implication we submit that a woman who is adult and not mad should be deemed to be capable enough to take decision regarding whether her pregnancy will be terminated or not. So, I think if this right of an adult woman is recognised and I do not know why it should not be-then we will be really breaking a new ground in respect of social transformation.

The question was proposed.

श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता (गुजरात): माननीय उपसभाष्यक्ष महोदय, इस बिल की प्रतीक्षा बहुत समय से हो रही थी। हमारे समाज में जो इल्लीगल टर्मिनेशन अ।फ प्रेगनेंसी होती थी, जो दाइयों या क्वैक डाक्टर्स या गलत मेडिसिन की वजह से होती थी उससे स्त्रियों को बहुत परेशानी होती थी और उससे उनकी जिन्दगी भी बर्बाद हो जाती थी और कभी-कभी वह मौत के समीप चली जाती थीं और मर जाती थीं। जब यह बिल इंटोडयुस हुआ थातब मैंने कहा था कि संसार में एक ही परिस्थित है कि जो अनीति होती है या जो बेकानुनी कार्य होता है, उसमें अभी भी सारा दोष स्त्री के ऊपर ही लगाया जाता है। मैंने यह भी तब कहा था कि शकुन्तला का जन्म होने के बाद विश्वामित्र ने बोल दिया और कह दिया कि यह मेरी बालिका नहीं है और मेनका को यह कह कर छोड़ दिया। संसार की यह परिस्थिति है। उस परिस्थिति में मैं सालों से एडवोकेट कर रही हंकि जो इल्लेजिटिमेट मदरहुड है, उसके लिये कुछ, करना चाहिये और यह जो बिल यहां उपस्थित हुआ है, वह उसके लिये है। मेरे दिल में चिन्ता है कि स्त्रियों के जीवन के साथ खेल खेल रहे हैं, हम जानते हैं कि एबार्शन कितनी भंयकर परिस्थित है, हम जानते हैं कि एबार्शन कितनी बोझा आता है, उनको कितना दुःख पैदा होता है और कभी-कभी उनकी जिन्दगी भी बर्बाद हो जाती है। यह सब जानते हैं। यह कोई मामूली कानून नहीं है, यह कोई हक या अधिकार का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न है स्त्रियों और बच्चों के जीवन का और हमारे समाज के हितों का।

अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि एकानामिक कारण से दो चार बच्चे से ज्यादा बच्चे हम नहीं पैदा कर सकते हैं, उनको खिलाना-पिलाना और उनका भरण-पोषण नहीं कर सकते हैं, इसलिये कुटुम्ब-नियोजन से हमारा कुटुम्ब कम होना चाहिये। सच बात है। लेकिन इसको मैं पहले भी पूछ चुकी हूं और आज भी पूछती हूं कि यह जो बोझा है, यह जो प्रश्न है, यह जो जिम्मेदारी है, यह सिफं स्त्रियों की नहीं है, यह जिम्मेदारी सारे संसार की है, स्त्री और पुरुष दोनों की है। मैं सोचती हूं कि टर्मिनेशन आफ प्रेगनेंसी जो है, वह फेमिली प्लानिंग के कारण से नहीं होनी चाहिये, क्योंकि एक बालक ज्यादा हो जाय तो संसार में कोई विपत्ति नहीं आयेगी।

एक बालक से दो, दो से तीन और तीन से चार या पांच हो जाएंगे तो वह विपत्ति कोई बड़ी नहीं होगी। तो फेमिली प्लानिंग के नाम पर यह मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेगनेन्सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह स्त्री के जीवन का प्रश्न है। किन्तु मैं सोचती हूं कि क्या यह हमारा समाज की वृद्धि का कारण जो है इसकी स्त्री ही जिम्मेदार है। मैं समझती हूं कि जब हमें फेमिली प्लानिंग करना है तो उसमें पुरुष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। मैं सोचती हूं स्त्री के बारे में जो यह लिखा है प्रेगनेन्सी के टर्मिनेशन के बाद उसका स्टेरलाइजेशन हो

जाना चाहिए, अगर वह कराना चाहती है तो कर सकती है, मगर जिम्मेदारी स्त्री और पुरुष दोनों की होनी चाहिए, यह मेरी मान्यता है। लेकिन यह फोमिली प्लानिंग के लिए जो हम ब्यवस्था रखते हैं, यह बिलकूल दूखद परिस्थिति है; क्योंकि समाज के दो, चार सेक्शन ऐसे हैं जो कभी फैमिली प्लानिंगमानते नहीं हैं।वह मानते हैं हमारी जनसंख्याबढ़े या कम हो जाये, यह भगवान का दिया बोझा है, इसलिए हम अधिक बच्चों को पैदाकर सकते. हैं और उनके दिल में कभी नहीं अशताहै कि हम जनसंख्या कम करें।यह जो रिपोर्ट है इसमें भी एक सदस्य का अभिप्राय ऐसा है कि हम कम करना नहीं चाहते हैं। हमें जो भगवान देता है, उन बच्चों का हम पालन पोषण करें ऐसा उनका विचार है। तो आज क्या जिम्मेदारी सिर्फ चंद स्त्रियों की रहेगी, क्या जिम्मेदारी समाज के एक सेक्शन की होगी और उन्हीं से भारत की जनसंख्या कम करनी होगी ? यह चिन्ताजनक परिस्थिति है। तो मैं सोचती हुं कि इसमें जो फेमिली प्लानिंग के नाम से प्रेगनेन्सो की बात होती है, वह निकाल देना जरूरी है। इससे क्या होगा कि एक बच्चेकेबाद दूसरा आएगा, तो हमेशा वह स्त्रियों को धकेल देंगे, फोक देंगे और ऐसी कठिन परिस्थितियां आ जाएंगी कि स्त्रियों की मृत्यु होगी । तो मैं हाउस से विनती करती हूं कि आप समाज को देखें। मैं 35 स।लों से स।माजिक कार्यकर रही हूं और मैंने देखा है कि एवार्शन से बहुत सी स्त्रियों की मृत्युहो जाया करती है। अमरीका में उन्होंने बताया है कि गत साल कितनी मृत्युएं स्त्रियों की हो गईं, मुझे वह संख्या अभी याद नहीं। यह एक लूज टर्म है ''अनवान्टेड चाइल्ड'' के लिए। यह भी गलत बातें हैं कि स्त्री कां शारीरिक रोग, मानसिक रोग बच्चे में आं जाएगा। हम फेमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, इसलिए हमने जो यह एक साइकालाजिकल कारण रखा है, यह बिलकुल गलत है।

[श्रीमती पूष्पाबेन जनार्दनराय मेहता]

187

दूसरी बात यह है कि टर्मिनेशन के पहले स्टेट का जो चीफ मेडिकल आफिसर है, उसके **पा**स रिपोर्ट करनी चाहिए । मैं सोचती हुं यह बहुत लिमिटेड समय है तीन महीने का। या तो 12 हफ्ते के दरम्यान उसका प्रिवेन्शन कराना चाहिए; क्योंकि 12 हफ्ते के पहले स्त्रीको मालूमनहीं होता । मैं जानती हुं इसमें क्या दिक्कत होगी स्त्रियों के लिए। वह स्त्री ही समझ सकती है, दूसरे के दिल में यह बात नहीं आएगी। दो महीने के बाद उसकी मालुम होगा, स्त्री को कि वह गर्भवती है। वह क्या करेगी ? वह डाक्टर को खोज लेगी, वह डाक्टर वहांचीफ मेडिकल आफिसरको रिपोर्ट करेगा और वहां से जवाब आएगा, इतने में मैं सोचती हूं 3 महीना खत्म हो जाएगा। मैरीड वोमेन के लिए कोई चिन्ता नहीं है, अगर एक बच्चा उसके लिए ज्यादा भी हो जाएगा, मगर जिस स्त्री के साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है या कोई विधवा है या कुमारी है जिसका प्रेगनेन्सी के समय में बोषण होना है, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी और यह भी होगा कि कोई चीफ मेडिकल आफिसर के पास स्टेट के हेडक्वार्टर में जाएगा तो डाक्टर नहीं होगा । इसलिए यह जो कानून है, इसका जो नतीजा होगा यही होगा कि इसका जो फायदा उठाना चाहें वह नहीं उठा सकेंगे, इसलिए मैं सोचती हूं डिसट्रिक्ट मेडिकल आफिसर्स के पास उसको जाना चाहिए, मगर स्टेट मेडिकल आफिसर के पास जाना नहीं चाहिए। n war to to

तीसरी बात, इसके बारे में जो रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स होंगे, वह नहीं बनाए। इसमें भी बहुत लूज टर्म्स हैं। हर एक स्टेट्स में जैसा उनका स्थाल होगा वैसे टर्म्स बना देंगे। इस-लिए मैं सोचती हूं कि जब पार्लियामेन्ट में टर्मिनेशन आफ प्रेगनेन्सी का बिल पेश कर दिया है, तो पार्लियामेन्ट का ही फर्ज है कि उन्हें ही जो भी टर्म्स एण्ड रेगुलेन्शस हैं, वह

बनाने चाहिएं और दोनों ह।उसेज में पेश होनाचाहिए;क्योंकि यह एक बहुत डेलीकेट सवाल है।

आ जहम यह देखते हैं कि जो इस तरह के लूज टर्म्स होते हैं, जो कायदे होते हैं, जो कानून बनते हैं, उनसे लोग बड़ा फायदा उठाते हैं।इसलिए मेरी प्रार्थनाहै कि इस तरह के जो लूज शब्द इस बिल में हैं, उनकी अच्छी तरह से व्यारूया की जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आ ज हमारे समाज में अनमैरिड मदरों का प्रश्नबड़ाजटिल है। इसमें लिखा है ल्यूनैटिक हसबैन्ड, मैरिड वूमैन । मैं यह कहना चाहती हूं कि इस बारे में डैफिनिशन होनी चाहिये वीमन कौन है और गर्लकौन है। इसमें सब जगह वूमैन लिखा है। जो 18 साल केनीचे की मदर होती है, उसको भी वूमैन कहते हैं या जो मेजारिटी में होती है उसको भी वूमैन कहते हैं।इस बात की इसमें डैफि-निशन नहीं दी गई है और जब कोई कानूनी प्रश्न अर्जायगा तो कई तरहकी समस्याएं खड़ी हो जायंगी।तोर्में सोचतीहूंकि इस तरह की इसमें जो यह बात दी है एक जगह तो व्मैन दिया हुआ है और एक जगह गर्लदिया है, तो यह बात समझ में नहीं आती है कि गर्ल किसको कहा जाये और वृमैन किसको कहा

इस बिल में जो यह लिखा है ल्यूनैटिक हसबैन्ड या माइनर हसबैन्ड, तो यह जो शब्द है वे लूज टर्म है और इनका कोई मतलब नहीं निकलता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जो अनमैरिड मदर्स हैं, उनकी बड़ी मुक्तिल है।मैं यहबात जानती हूं कि जब उनमें प्रेगनेन्सी हो जाती है और इस बात की जान-कारी हो जाती है तो उनके रिहेबिलिटेशन का सवाल बड़ा मुश्किल हो जाता है । अगर

उसको एब।र्शन करवाना होता है तो पहिले उसको चीफ मेडिकल आफिसर के पास जाना होता है या फिर दो प्रक्टिशनरों का सर्टिफिकेट लेना होता है, तब जाकर उसका एबार्शन होता है।चोफ मेडिकल आफिसर केपास जानेमें किसी दूर के रहने वाले को बहुत ही परेशानी आने जाने में होगी और अगर वह दो प्रेक्टिश-नरों का सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसमें भी उसको परेशानीका सामना करना पड़ता है। अगर कोई गरीब लड़की है तो उसको एबार्शन कराने के लिए काफो पैसा देनापड़ेगा।जो पैसे वालाहोता है वह तो उतनापैसादेदेता है, लेकिन जो इतना पैसा देने वाला नहीं होता है वह किस तरह से इतनापैसादे सकताहै। इस तरह से डाक्टर लोग गरीब से दो हज।र और पांच हजार इतपये तक ले लेते हैं और जब दो डाक्टरों के पास जाना होगा तो और भी ज्यादा रूपया देना होगा। इसलिए मेरा कहनायह है कि आपको इस बात को देखना होगाकि किसीको चीफ मेडिकल आफिसर केप(स न जाना पड़े, बल्कि जो जिले में मेडिकल आफिसर होते हैं, उन्हीं के पास जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि गरीब लोगों को दूर जाने से बचत हो जाय और समय की बरबादी भी बच जाय। अगर वह चीफ मेडिकल आफिसर के पास जाती है तो उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो सिकेसी मेनटेन करनी होती है वह भी नहीं हो सकेगो। इसमें जो कायदे बनाये गये हैं,वेतो अच्छो तरह से अमल में होंगे नहीं, लेकिन गरीब लोगों को परेशानी उठानी पड़ जायेगी।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि इसमें जो यह बतलाया गया है कि हमारी जो बहिनें हैं, स्त्री हैं उनके जीवन में इसका साइकोलाजिकल जो एफेक्ट होता है वह तो होता ही है। साइकोलाजिकल एफेक्ट तब ही होता है जब किसी के ऊपर रेप होता है या उसको जबरदस्ती मदर बनना पड़ता है और

फिर बच्चे को रखना पड़ता है। मेरे पास एक बहिन आई थी। उसके पास एक महीने का बच्चा था, जिसको वह मेरे पास छोड़ना च।हती थी। मैंने उससे पूछा क्यों छोडना चाहती हो।तो उसने कहा कि मैं इसको रखना नहीं चाहती हूं ; क्योंकि हमारे ऊपर जो आपत्ति आई, जो बलात्कार हुआ। उसी की वजहसे बच्चा हुआ।। वह जाते समय उस बच्चे काकपड़ा भी लेती गई। जब मैंने पूछ। कि तुम इस टुकड़े को क्यों लेजारही हो तो उसने कहाकि यह जो बच्चा हुआ। है वह बलात्कार करके हुआ है, इसलिए मैं उसका कोई भी चीज आपके पास रखना नहीं चाहती हं। इसलिए मेरा कहना है कि इस तरह की बहिनों की हमें हर प्रकार की सह।यता करनी चाहिये और उन्हें हर तरह की सुविधाएं दी जानी चाहियें। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जो हमारे यहां पर प्राइमरी हैल्थ युनिट हैं, वे हर ताल्लुके में होने चाहियें और उनमें क्वालिफाइड गाइनोकोलोजिस्ट होने चाहियें। इन चोजों के लिए जो 24 लाख या 40 लाख की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह बहुत कम है। इस कार्यमें ज्यादा रुपया देने को आवश्य-कताहै।जब हमारे देश में यह हवा पैदा हो जायेगी कि एबार्शन हो सकता है तो फिर इसका कोई ठिकाना नहीं रह जायेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि फोमिलो प्लानिंग के नाम से हमारी स्त्रियों की जिन्दगीवरवाद न करें, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमारे देश की संख्याकम होनो चाहिये, लेकिन यह इसका इलाज नहीं है और इससे हर घर में झगड़ा बढ़ जायेगा और हर स्त्रो को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि हमें चोफ मेडोकल आफीसर के पास जाना है, दो डाक्टरों के पास जाना है। इसके बारे में भी सोचें; क्योंकि यह प्रेक्टोकल नहीं है। तीसरी बात यह है कि मेडोकल आफीसर लूज टर्म है, गायनोकोलो-जिस्ट होना चाहिए। आज आयुर्वेद वाले हैं,

[श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता] होम्योपैथी वाले हैं, जो मेडीकल प्रेक्टोशनर हैं, वेदबादेसकते हैं, लेकिन आपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो सिवाय गायनोकोलोजिस्ट के किसी और के हाथ से आ।परेशन नहीं होना चाहिए। क्वेक से जो आपरेशन होता है उससे स्त्री की मृत्यु भी हो जाती है।इसमें जो काम करने वाले हैं डाक्टर्स वर्गैरह उनको कूछ खर्चादेनाचाहिए, पेनल बनाना च।हिए और इस तरहसे काम को हरडिस्ट्रिक्टमें करनाचाहिए।जो सोशल वर्करहैंऔर जो डाक्टर हैं दोनों का पेनल होनाचाहिए । तब जो गड़बड़ी होने की चिन्ता राज्य को है और कानुनका हैवह कम हो जायगी, इसलिए यह पैनल होना चाहिए। शान्तिलाल कमेटी की रिपोर्टमें भी है कि कितने देश ऐसे हैं जैसे चेकोस्लोवाकिया और जापान वर्गरह में सोशल वर्कर्स का पेनल होता है। इसी तरह डाक्टसं का पेनल होना च।हिए। वह तय करें उसे आखिरी स्वरूप मिलना चाहिए ; क्योंकि हम जानते हैं रेडटेपिज्म की बात हो तो कभी कुछ, हो सकने बाला नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं यह बिल जो आपने पेश किया है, इसमें दो-तोन बातों का रूयाल रखें।

हमें स्त्रियों के आरोग्य के लिए भी सोचना चाहिए। आज क्या होता है। ऐसे एवार्शन के बाद उनके आरोग्य का ख्याल नहीं रहता है। मैंने देखा है कि जब मास स्टर्लाइजेशन किसी स्कूल में या कैम्प में होता है फीमली प्लानिंग का प्रोग्राम कराना होता है तो स्टर्लाइजेशन के बाद 8-10 दिन रख कर 15-20 स्पये हाथ में रख कर निकाल देते हैं। उनकी आरोग्य की परिस्थिति इतनी मंयकर होती है कि आज भी मैं देखती हूं कि मेरे पास बहिनें आई हैं, जिनके आरोग्य के लिए चन्दा इकट्ठा करके उनकी तिवयत का ख्याल रखना पड़ता है। फीमली प्लानिंग ने हमारे संसार में अजीब सी बात कर दी है और उसका नतीजा यह है कि स्त्रियों की तिवयत भी खराब हो। गई है। आज यह स्थाल में रखें कि एबार्शन उनका होना चाहिए जो ल्यूनेटिक हैं, जिन्हें कैन्सर है या जिनको रक्तपीत है, जिनकी जिन्दगी के लिए एबार्शन की जरूरत है, क्योंकि वन मोर चाइल्ड उनकी जिन्दगी के लिए खतरनाक हो जाता है, मगर ताज्जुब की बात यह है कि अराज 15 साल से मैं बोल रही हूं कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, इस कान्न में भी नहीं है, शकुन्तला परांजपे ने बिल रखा था स्टरेलाइजेशन आफ दि अनिफट, उसको प्रसार नहीं हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि कैसे करेंगे। आज स्टरेलाइजेशन आफ दि अनिफट, जिनको विना जाने मदरहुड आ गया है,विधवायात्यकता स्त्री जिसके ऊपर रेप हुआ है, उनके लिए फौरन बन्दोबस्त करना चाहिए। लेकिन जो पति वाली पत्नी है उसके लिए चिन्ता करने की गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है। हमारी कमेटी को रिपोर्टकेदोनों वौल्यूम मैं पढ़गई हूं और शान्तिलाल ने जो गवाही दी है वह भी इसमें हैं, अरापने कुछ, सुझाव उनके लिए हैं, लेकिन अभीतक सब सुझाव नहीं लिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की एक नीति है कि जो हम पेश करते हैं. उसमें किसी के सुझाब की जरूरत नहीं होती है। इसलिए मैं प्रार्थना करती है कि बिल प्रसार करने से पहले, इसको आखिरीस्वरूप देने से पहले सोचनाचाहिए कि हम क्या करें।आ खिर

में जो योजना हम पेश करते हैं तो हमें यह देखना चाहिये कि हम उसे कर सकेंगे या नहीं और हमारे पास उसकी गुंजाइश है या नहीं। इतनी बड़ी जन संख्या बाला भारत देश है। इसमें इसके लिये कितना खर्ची होगा, कितना बन्दोबस्त करना पड़ेगा, कितने आपरेशन थ्येटसं की जरूरत होगी, यह सब सोचना होगा। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसलिये मैं समझती हूं कि फीमली प्लानिंग को आप अलग रखें, क्योंकि वह दूसरा प्रश्न है। इससे ज्यादा

4 р. м.

Pregnancy Bill, 1969 '

मुझेकुछ नहीं कहनाहै। लेकिन मुझेखुशी है कि अभी तक जो अंजान व्यक्तियों के हाथों से हमारी स्त्रियों की मृत्यू होती थी और जिनसे डाक्टर्स ज्यादा पैसाले लेते थे और उनको जो परेशानी होती थी, वह कानुनी तौर से एबार्शन कराने की ब्यवस्था होने से वह कम हो जायगी। मैं जानती हं कि इससे थोड़ा फायदा भी होगा। इसलिये मैं इस बिल को सपोर्ट करती हूं। लेकिन मेरे जो सुझाव हैं उन पर आप विचार करें और इसको आखिरी स्वरूप देने के पहले उनका रूयाल रखें।

Medical Termination of

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR I ALI KHAN): Dr. (Mrs.) Mangladevi Talwar.

> SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): Men also can speak, Sir.

> SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal): Why should Mr. Mani speak, of all?

(MRS.) MANGLADEVI TALWAR (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Bill. It is a measure which is long overdue and I would like to make it very clear that it is in the interest of women that this measure has been brought before this august House. Legal abortion as a measure of terminating unwanted pregnancy has

- existed from time immemorial. The problem of induced abortion is a complex one involving various factors as pointed out by the hon. Minister-social, physical and individual and pertaining to the medical side. Many studies have been done on this subject in various countries but time would not permit me to go into the details of those studies. I will give you some particular facts about these studies in India. Studies on this subject have been carried out in different hospitals like the Lady Hardinge Hospital and the Safdarjang Hospi-
- tal in New Delhi, also in Mysore and Madras and some other agencies have made studies in abortion clinics where these illegal abortion have been conducted by qualified medical men and women and it was found that 87 per cent of women who seek induced abortion are married women who are mothers of more than one, two or three children. Therefore the idea that abortion is only conducted on un-

married women or only a widow seeks abortion is not a very correct one. The majority of abortions take place in married women and so what was the state of affairs? If we come to the figures, they are colossal. It will be found that for every 73 live births, according to the studies, 25 abortions take place. Of them 15 are induced and the rest are natural because abortions can take place naturally out of medical reasons also. There are so many women who suffer from repeated abortions due to medical defects. The number of abortions per year will be 6.5 millions which is a very big figure. Out of it 2.6 millions would be natural and the rest induced. Who was doing these induced abortions till today? Large numbers of abortions take place every day and most of the people who want to have it are led to quacks unqualified women who do not have the knowledge of anatomy, or physiology, who do not know what to do because it is a very delicate operation, at the same time it appears to be a simple operation and the Dais and others who have no scientific knowledge do this operation for secrecy because married women also do not want it to be known that they are seeking abortions for reasons of the low of the land. The quacks commit blunders and endanger the life of the woman who is seeking the operation. That gives rise to high maternal mortality and high maternal morbidity which means that women who have had these operations they suffer from different diseases, making their lives chronically sick and a happy family is no more a happy one because when the mother is sick, the children cannot be taken care of and the household suffers and the whole family suffers from the illhealth of the mother. About the high death rate, those who have come in touch with the hospital out-patient wards the inpatient wards will bear me out and even the visitors to the maternity sections of the hospitals would know in what state of affairs a mother comes. They are generally unconscious, they are suffering from deep anaemia and many of them cannot be saved because the infection that has been introduced into their bodies by these quacks and unqualified. Sir, I would refer to clause 3 (4) (a) of the Bill. It is made very clear that for a woman or a girl who is under 18 years of age, who is minor the consent of the guardian is necessary. It may be father, or brother, or mother or any[Dr. (Mrs.) Mangladevi Talwar]

195

one but as far as the adult woman is concerned it says in clause 3 (4) (b):

"Save as otherwise provided in clause (a), no pregnancy shall be terminated except with the consent of the pregnant woman."

So only her own consent is required. The pregnant woman is competent enough to give consent for abortion to be performed on her body and therefore this is a revolutionary Bill which I welcome. It gives the woman the status; it gives the woman the power of decision. They are the masters of their body and therefore a pregnant woman can give consent for this operation to be performed without even the consent of her husband or any other relative. There were some people who in the course of their evidence were of the opinion that even a girl under 18 years of age if pregnant must have the power or authority in law to give consent because as soon as she becomes mother to be that in itself gives her this authority. The Committee did not accept that. The other thing that has been done is that all the adjectives, all the words indicating the social status of the woman were taken away, words like unmarried girl, widow and so on. Only the words 'major' and 'minor' have been kept; whether one is under 18 or above 18, that alone mattered. So these two things are very important from this point of view.

Then I would like to say a word about what Shrimati Pushpaben said. She said repeatedly that this Bill is for family planning. Indirectly this will have the effect of population control because when everything else fails and when pregnancy occurs, that pregnancy can be terminated according to this measure. But the primary object of this measure is not family planning, is not population control. For that purpose there are other things available.

I would like to refer to clause 4 because there is a certain amount of confusion about that clause. Clause 4 says:

"No termination of pregnancy shall be made in accordance with this Act at any place other than-

(a) a hospital established or maintained by Government, or

(b) a place for the time being approved for the purpose of this Act by Government." It may be a private clinic; it may be any other clinic; if it has the requisite equipment, if it has the requisite qualified personnel and if it is approved by the Government there is no reason why this operation could not be done at any place other than a hospital. 1 may submit that there would not be enough hospitals to deal with the exigency that will arise after this measure is passed. Therefore, there are two points that I would like to draw your attention to and precautions that have to be taken in this regard. The services have to be organised because it is the experience in other countries that whenever a Bill of this type is enacted or passed there is a rush of patients into hospitals and other places, and unless you can provide the services for the women who seek these operations this Act will meet with disaster. We will not have enough beds, enough medical personnel, enough medical epuipment to deal with this necessity. The other thing is that you may approve a clinic or any other place where proper equipment and a qualified medica] practitioner is there who is trained to do this work; but, Sir, there should be the services of a specialist available at a short call, in a short time, because there are very great and dangerous complications which may arise during the operation. Unless we can deal with them we will lose the patient and at the same time we will lose our reputation. There might be severe bleeding, there might be so many other complications. Therefore, there should be a mobile team equipped with all the necessary things, blood bank and other things and specialist services, who can operate, who can open the abdomen and do the major operation if need arises.

Pregnancy Bill, 1969

With these words, I support the Bill again.

श्री मान सिंह वर्गा (उत्तर प्रदेश) : उपसभाष्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का तीव विरोध करने के लिएखड़ा हुआ है। मैं इस विल को अधार्मिक, असांस्कृतिक, असामाजिक, अनैतिक और अमानुषिक मानता हूं...

SHRI A. P. CHATTERJEE: Are you opposing

श्री मान सिंह वर्मा: Certainly, क्योंकि ' जिस प्रकार से यह विधेयक लाया गया है, उसको मैंने पढ़ने का प्रयत्न किया है। श्रीमन्, इससे उस समस्याका हल नहीं होता जिस समस्या को सरकार हल करना चाहती है, न उस उद्देश्य की पूर्ति होती है जो उद्देश्य उन्होंने बिल का बताया है। अभी माननीय मंत्री जीने सह कहा था कि इस बिल को लाने के लिए इधर-उधर से, स्टेट्स से, और जो प्रमुख व्यक्ति हैं देश के, उनकी राय ली गई और अधिकांश लोगों की राय यह रही है कि इस प्रकार का बिलं आना चाहिए । मैं उनसे इस बात में सह-मत नहीं हं। लगभग 26 गवाहियां प्रवर समिति कें समक्ष आई और उनमें से लगभग सात, आठ व्यक्तियों को छोड़ कर प्रायः सभी ने इस विधेयक के प्रति चिंता व्यक्त की है, संदेह व्यक्त किए हैं और कुछ नेतो खुल कर विरोध किया है। जहां तक मैं समझता हूं, इस बिल के दो उद्देश्य हो सकते हैं। यद्यपि दिखाया कूछ और गया है, किन्तू उसके अन्दर में जो बात छिपी हुई है वह यह है कि प्रथम तो जो चोरी से गर्भपति होता है उसको रोका जाए और दूसरी बात यह है कि यह उद्देश्य प्रतीत होता है कि इसके द्वारा परिवार नियोजन में सहायता ली जाए। यद्यपि उन्होंने यह कहने की कोशिश की है कि इससे परिवार नियोजन का कोई सम्बन्ध नहीं है तथापि अभी-अभी माननीय मन्त्री जी ने जो कुछ भी यहां पर कहां है, इस बिल को पेश करते समय, उससे तो हमारा संदेह बिलकुल स्पष्ट हो गया है कि इस बिल का मुरूथ उद्देश्य परिवार नियोजन को सहयोग देना है, उसको सहायता देना है दूसरे रूप में। मैं समझता हूं कि भारतीय दंड विधान की धारा 123 पहले से ही हमारे यहां मौजद है, जिसके द्वारा मां के जीवन की सुरक्षा के लिए गर्भ को गिरायाजासकता है । यह उसमें प्रावधान है ।

फिर मैं यही नहीं समझ सकताकि जो प्रस्तुत विधेयक है उसकी धारा 3, उपधारा

2 वी में यह बात, यह प्राविजन डाला गया है, तो विशेष प्रकार की योजना की आवश्यकता क्या थी ? वह तो पहले से थी। यदि मां का जीवन जो है वह खतरे में है तो गर्म को हटाया जा सकता है और उसकी रक्षा की जा सकती है।

श्रीमन्, हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं और भारत हमारा देश है। प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति होती है और उसके अनुरूप उस देश का घरातल होता है। उसके अनुरूप उस देश के नियम और उप नियम बनाये जाते हैं, आचार संहिता बनाई जाती है और उस पृष्ठ भूमि को लेकर उसके नियम बनाये जाते हैं। उस चीज को लेकर अगर हम देखें तो जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि यह असांस्कृतिक है, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है और हमारी परम्परा के विरुद्ध है।

हम यह मानते है जैसा कि उन्होंने कहा कि जिस बिल को रोकने की गरज से यह किया जा रहा है वह रुकनी चाहिये, किन्तु इसको रोकने कायह तरीका नहीं है। एक तरफ तो आप इस तरफ के नियम बनायें जिसके द्वारा द्राचार और व्यभिचार बढ़ें और दूसरी तरफ अ(प उसको रोकने का प्रयत्न करें। इससे तो यह प्रतीत होता है श्रीमन्, जिस प्रकार का विधेयक आप ला रहे हैं, उसके पारित हो जाने के पश्चात् यह आपको मानना पड़ेगा कि जो दुराचार अब तक खुले रूप में नहीं थे, वे अब खुलेरूप में हमारे सामने आ जायेंगे। अत्प यह कहते हैं कि अभी तो चोरी-चोरी से गर्भपात हुआ करते हैं तो उनको लीगलाइज वयों न कर लिया जाय ? यह एक बहुत अच्छा तरीका है। किसी अपराध को रोक न सके आप असमर्थ हो जायं, अक्षम हो जायं उसको रोकने में और फिर अपनी असमर्थता को छिपाने लिए कानुन का जामा पहिना दें? आज यही बात हो रही है। हत्य। एंबढ़ रही हैं। प्रति दिन हत्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं।

[श्री मान सिंह वर्मा] इसका अर्थ यह हुआ कि इसको लीगलाइज कर कर दिया जाय, इसको कानून के अन्दर डाल दिया जाये । यह कोई बात नहीं है । आवश्य-कता इस बात की है कि जो अपराध होता आया है, उस अपराध को रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

श्रीमन्, हमारी मान्यता रही है, हमारी संस्कृति की यह देन है कि भूण हत्या सबसे बड़ा महापाप कहलाया जाता है। इसके संबंध में यह कहा गया है कि सृष्टि द्वारा जो एक उत्पत्ति होने वाली है, उसको रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी जो चीज इसके द्वारा होने वाली है, जैसा मैंने अभी बतलाया कि इसके द्वारा व्यभिचार को स्वतंत्रता मिलेगी।

श्रीमन्, हमारे यहां इस बात के नियम रहे हैं, जटिल नियम रहे हैं, किटन नियम रहे हैं। यहां पर जो इस प्रकार के चरित्र के अन्दर जो इस प्रकार की हीनता है, उसका कभी भी विश्वास न करें, वह हीनता न होने पावे, इस बात पर बड़ा बल हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने और हमारे ही तरह जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं दिया है।

> श्रीमन्, हमारे यहां कहा गया है :— आहार बिद्रा मय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिनराणाम् । अधिको विशेणो धर्मोहितेषो धर्मेण हीना पशुभिसमानाम् ।

इसका अर्थ यह हुआ, आहार (भोजन), निद्रा
(नींद), भय (डर), मैंथुन (सैक्सुवल अर्ज), यह
सब इन्सान और हैवान, मनुष्य और जानवर
में बराबर-बराबर है और कोई अन्तर नहीं है।
कोई अन्तर नहीं है इनमें, फिर मनुष्य, मनुष्य
क्यों कहलाता है, जानवर से उसका दर्जा ऊंचा
क्यों माना गया है ? इस वास्ते कि वह इन
चीजों पर संयम करके, कन्ट्रोल करके चलता

है । मैथुन जहां पर आवश्यक है, वहां पर उसके साथ संयम भी आवश्यक है। इसीलिए हमारे यहां प्रारम्भ से ही लड़कों को भी, लड़कियों को भीइस प्रकार की शिक्षा दी जायाकरती थी कि वे इन बातों से अलग रहें। आप समझते हैं कि आप इन बातों को रोक सकेंगे? आप तो इन बातों को प्रोत्साहन देरहे हैं इसके द्वारा। इसमें है कि 18 वर्षकी जोलड़कीहोगी उसको स्वतन्त्रता होग़ी कि वह अपनी मर्जीसे आपरेशन करा सकती है और गर्भ गिरवा सकती है। आज तो, श्रीमन्, इस बात का थोड़ा भय रहता है कि कहीं गर्भ न रह जाय और इस भय के कारण से अनेक उत्पात नहीं हो पाते, रुक जाते हैं। यह स्वाभाविक है कि युवक और युवती आपस में मिल जायं, आकर्षण होता है, लेकिन आकर्षण होने के बाद इस बात की सबसे बड़ी रुगावट रहती है कि यह गड़बड़ न हो जाय और जब आपने कानून के जरिए से यह गड़बड़ दूर कर दी, स्वतन्त्रता देदी तो मैं समझता हूं कि जानवर और इन्सान में कोई फर्कनहीं रह जायगा। मैंने पहले भी कहा था कि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात आप बोटक्लब में दोनों तरफ कुछ न कुछ दृश्य देखेंगे । विदेशों में हमें इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं, सबके सामने वहां लेकर पढ जाते हैं। क्षमा करिए गा आप इन शब्दों को कहने के लिए। अ/प निमंत्रण दे रहे हैं अनाचार, व्यभिचार, दुराचार को । तो मैं यह कहता हूं कि यह जो विधेयक है यह किसके मस्तिष्क की उपज है। यह उनके मस्तिष्क की उपज है जो विदेशों की भावनाओं को लेकर यहां आए हैं, जिनका पालन-पोषण वहां हुआ है, जिन्होंने विदेशों की बातों को देखा है, वे भारतवर्ष के अन्दर भी इस प्रकार की बातें चलाना चाहते हैं। इस बात को वे भूल जाते हैं कि भारतवर्ष का धरातल, भारतवर्ष की मिट्टो, भारतवर्ष की संस्कृति, हमारी मान्यताएं दूसरों से नहीं मिलतीं। हमारे देश में क्या था? जो सबसे

हम दूसरे देशों को दे सकते थे, देते रहे हैं और दूसरे देश हमारी प्रशंसा इस बात के लिए करते रहे हैं कि यहां पर सती-साब्दी स्त्रियां होती रही हैं। हमारी बहिन ने भी यह बात कही है, दूसरी बहिन भी बोली हैं, लेकिन खुल कर हमारी बहिनों ने इसका विरोध नहीं किया है। मैं चाहताथा कि वे करें। इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् सती सीताऔर सती सावित्री को क्या हम देख सकेंगे ? खुली छुट्टी होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि जिसके बहिन हैं,जिसके बेटी है वह कभी इस विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकता। यह ठीक है कि इस प्रकार की आचरण-रहित बातें हो जाती हैं और लड़कियों की बिना इच्छाके गर्भधारण हो जाता है, कहीं बलात्कार के कारण, कहीं उसके दुष्चरित्र होने के कारण । बलात्कार के कारण जो उसको गर्भ धारण हो जाता है, उसके लिए समाज को सहनशील होना चाहिए, उसको टालरेट करना चाहिए बजाय इसके कि उसको समाप्त कर दें, उस बच्चे को आना चाहिए, उस बच्चे का समाज में सम्मान होना चाहिए, उसके लिए सरकार को प्रबन्ध करना चाहिए। दूसरे देशों की मिसाल तो आपने ले ली, लेकिन दूसरे देशों में अनवान्टेड चाइल्ड के प्रबन्ध होते हैं, उसका पताभी नहीं चल पाता कि कौन लड़की छोड़ गई यहांपर । मैंसमझता हूंकि इस प्रकार कोई परम्परा हमारे देश में नहीं चली है। बजाय इसके कि आप उस बच्चे को समाप्त कर दें, अ।पको उसके लिए प्रबन्ध करना चाहिए ।

मेरी बहिन ने कहा कि हमेशा सफरर जो होती हैं लेडीज होती हैं। मेल के लिए आपने क्याकियाहै? वह गड़बड़ करके अलगहो जाता है, उसका क्या बिगड़ता है। उसके लिए कौनसाविधेयक आप लाए हैं? उसके लिए भी अः।पको कुछ प्रावीजन करनी चाहिए थी। श्रीमन्, मैं कोई खोखली बात नहीं कह रहा हूं इसको रोका जासकताहै, आवश्यक है। मैं |

समझताहूं कि आज परिवार नियोजन की आवश्यकता है, लेकिन वह कैसे होगा, वह संयम के द्वारा होगा। Any control in the absence of self-control is nothing. सेल्फ कन्ट्रोल तो ढीले होते चले जारहेहैं और बाको कन्ट्रोल आप करते चलेजा रहेहैं। इसी कारण से आपका कोई कन्ट्रोल कामियाब नहीं होता है। आप यहभी एक प्रकार की कन्ट्रोल की बात कर रहे हैं। जो पहले चोरी-चोरी होता था उसको अब आपने लिगलाइज कर दिया।

श्री अर्जुन अरोड़ा (उत्तर प्रदेश):यह डिकंट्रोल कर रहे हैं।

श्री मान सिंह वर्मा: यह डिकंट्रोल बच्चों कानहीं कर रहे हैं, बिल्क कुछ, और चीज का कर रहे हैं।

श्री अर्जुन अरोड़ा : ज्यादा इम्पाटेंट चीज क्या है।

श्री मान सिंह वर्माः अवश्रीमन्, इस कथन के पश्चात् मैं थोड़ासासमय विधेयक की कुछ, धाराओं के सम्बन्ध में लूंगा। इसमें लिखा है कि प्रत्येक रजिस्टर्ड मेडिकल डाक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस बात का सार्टिफिकेट देसकते हैं कि उसकी गुड हैल्थ की वजह से, उसकी हैल्थ कायम रह जाय, इस वजह से उसका आपरेशन होना चाहिये । मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है । उसको हमें यह अधिकार नहीं देना चाहिये । इसके लिये एक पेनल बनाना चाहिये। जैसा कि हमारी बहन ने अभी कहा कि जिम्मेदार डाक्टरों का पेनल होना चाहिये, जो इस बात को सर्टिफाई करे कि यह प्रेगनेंसी हटनी चाहिये या नहीं हटनी चाहिये।और इसका जो काज है, इसका जो आधार है, वह उपयुक्त हैया नहीं है। फिर इसका सेक्शन 8 आ पने किस प्रकार से देदिया है। अभी आपने कहा कि डाक्टरों पर रोक लगाई जा सकती

[श्री मान सिंह वर्मा] 🕟 🖂 😘 🦠 🗥 🗀 है। बहुन मंगला देवी तलवार ने भी कहा कि इसके कारण से कुछ रोक हो सकेगी। मैं समझत। हंकि इसके कारण से एक प्रकार की स्वतंत्रता हो जायगी। सेक्शन 8 जो है वह यह कहता है :

"No suit or other legal proceeding shall lie against any registered medical practitioner for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done under this Act."

ु "गुड फेथ" तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है। अन्य भी गुड़ फेथ में कहते हैं कि जो कूछ, हुआ। है गुड़ फेथ में हुआ। है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता देने का नतीजा क्या होगा कि बहुत ज्यादा इसमें गड़बड़ होगा। बहुत ज्यादा इसमें ब्लैक मार्केटिंग भी चलेगी। वह पहले से चल रही है और अब और खुल कर चलेगी।

संसदीय कार्यविभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम् मेहता) : इसमें ब्लैक मार्केटिंग क्या होगी ।

श्री मान सिंह वर्मा : अभी सार्टिफिकेट आठ आने में मिल जाता है, तब दो सौ रू० में मिलेगा ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : हम को अफसोस है कि हमारे नौजवान मिनिस्टर को ऐसा बिल लाने की क्या जल्दी पड़गई

श्री मान सिंह वर्मा: दूसरे सेक्शन 7, 1 सी, में यह लिखा।

"prohibit the disclosure, except to such persons and for such purposes as may be specified in such regulations, of notices given or information furnished in pursuance of such regulations."

में माननीय मन्त्री जी से आग्रहकरूंगा कि वे जरासुन लें। इसमें यह है कि स्टेट चाहे तो इस प्रकार के नियम बना सकती है कि उसको छिपाया जाय, पता न लगने पाये। इस विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि दो प्रकार की बातें होती हैं। एक तो यह है कि फोर्स्ड प्रेगर्नेसी हो। दूसरी यह है कि कोई दुश्चरित्र व्यक्ति या दुश्चरित्रा महिला हो सकते हैं जिनके कारण से प्रेगनेंसी हो। उनको भी अ।प छिपाने की बात कर रहे हैं। उनको तो ओपेन करना चाहिये। समाज के द्वार। उनका बहिष्कार होनाचाहिए । मैंयह समझता हूं कि हमारे समाज में जो इस प्रकार के कड़े नियम थे उनके कारण . . .

श्रीमती पुष्पाबेन जनाईन मेहता : प्वाइन्ट अर्थ आर्डर। में समझती हूं कि जो दुश्चरित्र महिला होती है उसका चरित्र तो खोल कर रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन सारी महिलायें ही दुश्चरित्र नहीं होती हैं। उसके साथ कोई व्यक्ति भी सम्बन्धित होता है। लेकिन आज के संसार में यही बात चलती है कि सभी स्त्री को ही एक्स-पोज करते हैं। उसकी बेइज्जती होती है। मगर मैं आ पको कहनाचाहती हूं कि पुरुषों की बात कभी नहीं अ ती है । मेरे पास 6,7 आ फोंनेज़ेज़ा हैं और करीब 600 बच्चे हैं, उनमें किसी के भी पिता का नाम नहीं है, केवल माताओं का नाम दिया है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, केवल स्त्री की बेइज्जती करने से ही संसार में कुछ, नहीं हो सकेगा।

श्रीमान सिंह बर्माः मैं तो यह समझता हंकि . . .

उपसभाष्यक्ष (श्री अकबर अली खान): बहिन की बात आप मान लीजिए ।

श्री मान सिंह वर्माः बहिन को भी भाई की बात माननी चाहिए। आपको याद होगा. मैंने शुरू में ही कहा थाकि आ ज तक कोई प्रावीजन इस तरह का नहीं किया गया है कि जिस व्यक्ति के कारण से उस बेचारी को यह

सफर करना पड़ रहा है, उसके विरोध में कुछ किया गया हो। अभी हमारी वहिन ने बताया कि जिस प्रकार के अनाथ आश्रम आप चलाती हैं उनकी स्थिति क्या है। उनमें भी आप भविष्य के लिए यह नियम बना लें कि जो स्त्री इस प्रकार से वहां आये बच्चे को लेकर वह इस बात के लिए बाध्य हो कि वह उसके पिता का नाम भी जरूर बताये और ऐसे व्यक्ति को एक्स-पोज किया जाना चाहिए ताकि वह इस प्रकार की शरारत करके, अपराध करके शरीफ न बना रह सके। ऐसा होने से ही स्त्री को वहां दोषी और अपराधी बन कर रहना पड़ता है। यह नहीं होना चाहिए। इसके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

तो मैं यह कह रहा थाकि इस प्रकार की दृश्चरित्रता के कारण जो केसेज होते हैं, मैं समझता हूं कि उनके लिए लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं। मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारे यंहां की सोसाइटी इस प्रकार की रही है कि जिसमें इस प्रकार की बातों की कोई जगह नहीं थी। मैं एक उदाहरण देता हं। हमारे एक बाल्मीकि भाई थे, उनकी अपनी देशी पंचायत थी। पंचायत हो रही थी। वह मुझे वहां पकड़ कर लेगये और कहने लगे कि चलो तुमको देसी कोर्टदिखला दं। वहां पर सकल पंच बैठे हुए थे। उनके सामने मुकदमा पेश हुआ। वह आदमी आया और पंचों ने पूछा कि उसका क्या अपराध है। जो अपराध बताने वाला व्यक्ति था उसने कहा कि इसका अपराध यह है कि उसने अपने मोहल्ले की एक लड़की को छेड़ा है।यह उसका अपराध था। उसकी सारी बातें सून कर पंचों ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमको अपने बचाव में कुछ कहना है। उसने जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं कहना है। पंच परमेश्वर हैं और उनके सामने मैं अपना अपराध स्वीकार करता हं। उसके अपराध स्वीकार करने के बाद पंचों ने जो दंड उसको दिया वह यह था कि उसे नंगा करके चमड़े के 25 कोड़े उसके नंगे शरीर पर लगाये जायें। जब पंचायतों द्वारा इस प्रकार का दंड दिया जाता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह इस प्रकार से किसी लड़की को छेड़े या किसी को बुरी नजर से देखे। हमारी संस्कृति में तो माना गया है कि:

'मातृवत् परदारेषु, परद्रब्येषु लोष्ठवत् ।' जिस संस्कृति में पर स्त्री को माता के समान माना गया है, उस संस्कृति में आप इस तरहका जहर घोलने के लिए इस प्रकार का विधेयक लायें, ऐसा करके आप अपनी मान्यताओं को और अपनी संस्कृति को बिगाड रहे हैं। उसका सुधार नहीं कर रहे हैं। और इसको आप अमरीका बनाने की कोशिश मत कीजिए कि जहां पर 75 परसेंट लडकियां शादी के पहले ही गड़बड़ कर चुकी होती हैं। (Interruption) हमारी संस्कृति को जिन्दा रखने के लिए आवश्यक है कि आप इन बातों की व्यवस्था यहां न की जिए। इसको दूसरा देश बनाने की कोशिश मत कीजिए। मैं रिपोर्ट के आधार पर यह बात कह रहा हूं और मैं उसको साबित कर सकता हं। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का तीव विरोध करता हं और मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता है कि कृपा कर अब भी समय है, इसकी आप वापस ले लें और अगर आप इसको वापस नहीं लेते तो मैं इस सम्मानित सदन से अपील करूंगा कि वह इस बिल को गिरा दे और इसकी पारित न होने दे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALL KHAN): Shri Bhadram. I will request hon. Members to kindly confine themselves to ten minutes since we want to finish this today.

SHRI A. D. MANI: It cannot be done today.

SHRI M. V. BHADRAM (Andhra Pradesh): Yesterday the Business Advisory Committee decided—and the House has accepted it—that if necessary we will sit longer to complete the agenda. [Shri M. V. Bhadram]

Sir, this is a piece of legislation which, in a way, is a very drastic legislation. But, unfortunately our country has not reached that stage when the Government will be undertaking responsibility for all the children and all the people. So the responsibility is still left to the individual family to bring up the children and educate them. Under the conditions in which we are living today, we cannot hope to have a measure like this which, I hope, is only a temporary one. Otherwise the Government should take the responsibility to bring up every child. Even according to our old customs, when a woman becomes pregnant, it is the property of the entire society and it is not the property of the individual woman or the parents. Sir, here I was carefully listenting to Varmaji and I was amused to hear certain things from him. He was quoting from our old things. Perhaps he has forgotten certain aspects of our Puranas. If we go to the days of the MUhabharata, we find the birth of Pandu and Drudirashtra is not by father. Satyavati could not find a successor to the throne and the social laws in those days permitted women, if they could not get children by their husbands, to get children by some body else and so let us not be deceived by slogans and other things. Even Kunti, when she was unmarried, got her son. Kama. Therefore, Sir, let us not go by what was happening a thousand years ago. Society now is advancing and society will have rules and regulations from time to time and if we forget this basic fact, then we lose ourselves and we lend ourselves to orthodoxy and we oppose everything that if new. I do not subscribe to that idea.

Sir, coming to the main aspect of the problem! that is, the legislation, it legalises abortion in Certain cases. The explanation given in Clause 3—"Mental Health"— says that "if it is injurious to mental health", termination of pregnancy is allowed. Sir, I do not know how the Bill will give full satisfaction to that aspect. If an unmarried girl of 17 unfortunately becomes pregnant and she has to get the consent of her father or guardian to get the pregnancy terminated, firstly she will get slaps from her father and after being abused she will be taken to the doctor. The second aspect is that when she goes to a general hospital, it cannot be kept a secret and everybody will come to know

that this poor girl got her pregnancy illegitimately and everyone will look down upon her. So the Bill does not give the termination of pregnancy secrecy when unfortunately girls or women get pregnant. How does the Bill give protection to those people? If it is a general hospital, certainly it will become a public affair and naturally the girl or woman has to go to a private nursing home where the doctors will heavily charge. Then what happens to the common girls or the middle-class girls? Now plenty of these girls are coming for employment. So in all these cases how does this Bill protect them or give help to those people? Therefore, I find that the Bill does not give any such thing.

The second thing Is that even in cases where the husband and wife agree to have devices of birth control or family planning, if the device fails, there also the first target will be the woman because the husband begins to suspect her chastity. The husband does not immediately get the conclusion that the device failed. So it does not mean that this is encouraging illegal things.

I would like to ask those friends who argue in that way one thing. Some time ago we had no law which gave the right to women to divorce. Now there is a law. It does not mean that every housewife is divorcing her husband. No. How many cases do we find in India where women are going to the court and get divorce? Very few. The percentage is very low. Similarly, now the law gives the right to certain types of women or girls to get their pregnancy terminated. It does not mean that it will encourage all illegal things; unmarried girls will go into all these things. I do not agree with that line of thinking. It is only for certain cases of unfortunate girls and women where they get pregnancy.

In the socialist countries, there is no illegitimate child. Every child, even if the girl is unmarried, is a legal child in the socialist countries. There the society takes care of the child. But here, unfortunately, we have not reached that stage. It should be a temporary measure to permit these people to have the pregnancy terminated. The hon. Minister will take care to see that secrecy is maintained,

With these remarks, I would like to congratulate the hon. Minister who has so ably presented his case.

Thank you.

209

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Mr. Chatterjee... (Interruption)

SHRI A. P. CHATTERJEE: Sir, I cannot really congratulate the young Minister, for the very first Bill he brings forward in the Parliament is the Termination of Pregnancy Bill. But, in any way, man cannot be a chooser quite often.

Having said this, I must say that I expected better things from Prof. Chattopadhyaya. After all, looking at this Bill, I find—and I have to say regretfully and ruefully—that it is a still man's world in which women are still faring very badly...

AN HON. MEMBER: They have not even been consulted

SHRI A. P. CHATTERJEE: I must say that this Bill—whatever platitudes they may bring in,—really does not touch the essence of the problem at all, and in certain cases it makes things even worse. Sir, I do not know why actually Clause 3 has been in that fashion apologetically hedged by all kinds of things, which make me feel that perhaps the person who was in charge of making this Bill or drafting this Bill, perhaps the Minister himself, was in two minds as to whether this Bill should be brought or not. Now, Sir, when you are in two minds about a thing, then the production is certainly bound to be absolutely different from what you intended it to be. It is certainly not after the desire or expectation of any section of the society and it will be a kind of legislation that will satisfy none but will frustrate many. I am submitting this that as far as this Bill is concerned, this won't solve the social problem, and the social problem is this that women are often the victims.

Now Mr. Varma, who spoke eloquently before me, he quoted Sanskrit texts and all that, but he forgot that, when the ancient Hindu society said that abortion was bad, at that time they really knew how to treasure the children. We know that in those times such a person as Dronacharya became the Guru of the Pandvas though he vas not born legitimately. And the great warrior Aswattama was not legitimately born at all. I am not very much conversant with what happened in ancient India, but in those days perhaps they knew how to treasure the children. Now, if the children are regarded as treasures of the society, if we come to that position, certainly we even, "No can say from the house-top The children should not be murdered or abortion. killed." We can say that when the children become a treasure. But the difficulty is this that this is such a society where we cannot say that children are a treasure whether they are born out of illegitimate wedlock or out of illegitimate connections. If that is so, if the the children cannot be treasured, then nobody has a right to bring unwanted children into the society. The point is this that if women become the victims, then there should not be any hesitancy about it. As to this Bill, I find that the entire Bill is a hesitant Bill, a compromise with the devil, so to say. It is a compromising Bill as the entire Central Government is a kind of compromise, compromising with capitalists and saying that they socialists-something like that. It is the same mentality which is here also, trying to say that this is a very progressive Bill, trying to say to the people that you are giving a lot to the women; but really you are not giving anything to the women. What is this, for example, that a pregnancy will be terminated only if there was grave injury to her physical or mental health. Originally, the word grave was not there before the word injury; it has been put in by the Select Committee. Why should these reservations be put in? If a woman is the victim of an unholy conspiracy by men, and the men do get away, it is the woman who suffers. And why should not the suffering woman be allowed to terminate the pregnancy on just this ground that "I have been the victim and so I do not want this child"? Why can't we say that she does not want this child and therefore she wants to have the pregnancy t erminated. I think that that kind of moral courage should have been shown by the Minister in charge of the Bill, but I suppose, Sir, that he has nothing of the kind; it is humming and haying. It is put as "grave

[Shri A. P. Chattcrjee]

injury to her physical or mental health." Then again, mental injury is defined only by two Explanations. Explanation I says, "if it has been caused by rape" and Explanation II says, "if the family planning device has failed", or something like that. Do these explanations cover all the possible cases? Why should a woman be compelled to bear a child if she does not want to bear ? Has she not a volitional capacity? Is she not an essential thing? Ate we denying the volitional will which we so readily concede to man? This Bill makes me feel that we are still living in the men's world, in the world of Manu. For example, where a man rapes a woman, he is not punished propeily, but the woman who was raped is held responsible, it is once again the world of Manu, of course with a dose of progressism-so called progressism.

Medical Termination of

I do not understand why actually clause 4 is there. Clause 4 of this Bill is really again a clause which will put a premium on black-marketing of doctors'fees. Sir, it is said that the surgical operations can be done only in "a hospital established or maintained by Government" or "a place for the time being approved for the purpose of this Act by Government". That will create a number of problems and that will create conditions for blackmarketing and corruption by the doctors. A simple sentence like this could be there, e.g. 'as a doctor can treat any other person'. Say, for instance, I am suffering from meningitis, I can call a family doctor and get it cured. If the Minister is suffering from influenza, he does not need to go to Willingdon Hospital. He can call an ordinary doctor. The point is that you want to create things in such a fashion that the things are made terribly difficult. Then it gives rise to a condition in which corruption is caused and created, a condition in which certain doctors will earn fabulous fees and will fatten at the expense of poor victim-women. They will blackmail them and their guardians. Therefore, Sir, I am saying that this clause 4 really creates an obnoxious situation. I am, therefore, submitting that as far as this Bill is concerned, it may be withdrawn; but not, of course, on the grounds that have been mentioned by Mr. Varma. They are quite peculiar grounds. Of course, I do not

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): What is the peculiar ground?

SHRI A. P. CHATTERJEE: The peculiar ground is the shastrik ground. Well, that is not valid in the modern society. Shastrik grounds are not at all relevant in the modern society in which women suffer and the men do not suffer.

SHRI MAN SINGH VARMA: On a point of order, Sir.

मिस्टिर चटर्जी ने यह बात कही कि प्राचीन काल में जो विधान था उसमें पुरुष की सजानहीं मिलती थी। मैं समझता हं कि उनका ज्ञान सीमित है। मनुने अपराधी पुरुष को माना है और जो ब्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता था उसके लिए इतनी सस्त सजा थी कि मैं कहना नहीं च हता हूं। उसको दो प्रकार की सज़ा मिलती थी, एक, पेड़ से बांध कर काटा जाता था, दूसरी, इससे भी भीषण सजा मिलती थी, जिसको मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, उसकी इन्द्रिय-विच्छेद कर देते थे। जिस प्रकार की सज्। पूरुष को मिलती थी. औरत को नहीं मिलती थी।

SHRI A. P. CHATTERJEE: Sir, let us not talk about Manu. The law of Manu is prevailing in the United States of America. There, if a white man rapes a negro woman, then there is nothing. But if a negro rapes a white woman, then he is electrocuted. Manu also says if a Brahmin rapes a non-Brahmin woman, there is nothing, but if a non-Brahmin rapes a Brahmin woman, then he is punished.

HON. MEMBERS: No, no, that is not correct.

SHRI A. P. CHATTERJEE: I have some knowledge of Manu and, as far as Manu is concerned, it a disgrace to quote him, parti-5 p. M. cularly looking to the present modern society. I am stating this. Manu's laws he is quoting. Mr. Niranjan Varma may be living under the laws of Manu but the laws of Manu, I should say, if he quotes the laws of Manu, he is quoting the most reactionary laws that mankind has known. That is what I say.

As far as this Bill is concerned, the Minister who pilots this Bill, is a young man with forward-looking ideas. I think when he has come to this Ministry, perhaps he will be a little Cabinet-crippled-I have no doubt about it but still he is a young person with a forward-looking outlook. To this young Minister with forward-looking outlook, I will says this. Let this Bill be a straight forward Bill. Let this Bill be such a measure that the woman be given a proper place in the society. Let this Bill provide that a man who does not want to bear a baby, will not be compelled to bear that baby. That should be possible. A woman who does not want to have a baby or rear a baby

should not be compelled to bear a baby or rear a baby. That should be the attitude. If that is not the attitude that you bring to bear on the social problems of this society, then this kind of Bill will only make the conditions worse and will only make things worse. It will not improve matters.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): The House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

> The House then adjourned at two minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 27th May, 1971.